State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

संजय कुमार (भा०प्र०से०)
कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

संचिका संख्या SHSB/PM/182/07
आदेश संख्या....23695........दिनांक....10.02.11....

कार्यालय आदेश

औषधि निरीक्षक, मुंगेर के पत्रांक 32 दिनांक 27.01.2011 द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचित किया गया कि कि M/s Maiden Pharmaceuticals Limited, 81 HSIDC, Industrial Area, Kundali-131028, Distt- Sonepat (Haryana) द्वारा निर्मित Methylergometrine Tablet औषधि के बैच संख्या MT9-071, जो सिविल सर्जन मुगेर को आपूर्ति किया गया था, की गुणवत्ता जाँच केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में कराया गया। केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता ने जाँचोपरान्त उक्त बैच की औषधि को नकली (Spurious) पाया है।

औषधि निरीक्षक, पूर्वी अनुमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 20 दिनांक 15.01.2011 के द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि इसी निर्माता संस्थान के उपरोक्त औषधि के बैच संख्या MT9-121 की गुणवत्ता केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता में जाँचोपरान्त अवमानक स्तर (Not of Standard Quality) का पाया गया है।

इसके पूर्व भी राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार के पत्रांक 170 दिनांक 3.7.08 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त निर्माता संस्थान की Erythromycin Sterate Syrup-125mg/5ml की चार बैचों यथा ML7-001, ML-7-011, ML7-58 एवं ML-7-012 की गुणवत्ता NABL प्रयोगशाला में जाँचोपरान्त अवमानक स्तर की पायी गई थी।

औषधि निरीक्षक, पटना-4 के पत्रांक 186 दिनांक 16.4.2010 के द्वार प्रतिवेदित किया गया था कि उक्त निर्माता संस्थान के इसी औषधि के बैच नं० ML7-060 की गुणवत्ता जाँच बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना में जाँचोपरान्त अवमानक स्तर का पाया गया है। औषधि निरीक्षक पटना के द्वारा उक्त निर्माण संस्थान पर माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के न्यायालय में आफिसियल कम्पलेन्ट केस नं० 457 (C-2) /2010 के द्वारा अभियोजन दायर किया गया है। इन्हीं कारणों से कोर कमिटि के द्वारा निविदा शर्त के आलोक में उक्त फर्म की Drug Tender Round-VII की निविदा को भी निरस्त कर दिया गया था।

उक्त सभी बिन्दुओं पर व्यापक समीक्षा की गई एवं सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त फर्म द्वारा निर्मित दो औषधियों के छह बैचों की गुणवत्ता अवमानक स्तर (Not of Standard Quality) एवं एक बैच नकली (Spurious) पाये जाने के कारण राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार निविदा शर्त एवं दर अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुरूप उक्त औषधि के निर्माता M/s Maiden Pharmaceuticals Limited, 81 HSIDC, Industrial Area, Kundali-131028, Distt- Sonepat (Haryana) को काली सूची में दर्ज करते हुये तत्कालिक प्रभाव से अगले पाँच वर्षों तक उन्हें बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों/संस्थानों द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाई जाती है।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-3259447, 3259448, 2290321, 2290322, 2290328, 2290340
website : www.shsbihar.org, E-mail : info@shsbihar.org

बिहार सरकार

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
(2005-2012)

उपरोक्त के अतिरिक्त M/s Maiden Pharmaceuticals Limited, 81 HSIDC, Industrial Area, Kundali-131028, Distt- Sonepat (Haryana) एवं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार अथवा जिला स्वास्थ्य समिति के बीच सरकारी अस्पतालों में औषधि आपूर्ति हेतु अगर दर अनुबंध किया गया है तो उसे भी तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में अगर भाग लिया हो तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को अविलंब दिया जाये एवं सर्वसाधारण के सूचना हेतु इसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर भी उपलब्ध करा दिया जाये।

ह०/10/02/11
(कार्यपालक निदेशक)

ज्ञापांक....23695.......... पटना, दिनांक....10-02-11........

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये निदेशित है कि उक्त निर्माण संस्थान पर Drug & Cosmetic Act & Rule के तहत नियमानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, अंधापन/कुष्ठ/मलेरिया/फाईलेरिया/कालाजार/यक्ष्मा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविधालय अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविधालय, पटना/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/सभी उपसमाहर्ता/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/वित्त प्रबंधक/सभी सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : M/s Maiden Pharmaceuticals Limited, 81 HSIDC, Industrial Area, Kundali-131028, Distt-Sonepat (Haryana) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स रिसव एसोसिएट्स, वर्मा सेन्टर, बोरिंग रोड़, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/10/2/2011
(कार्यपालक निदेशक)